297

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल बोर्ड, ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व निगरानी क्रमांक–R 1082-1/2017

1– पूरन ढीमर तनय किशोरी ढीमर उम्र 45 वर्ष

2– मुकेश ढीमर तनय लल्लू ढीमर

3– परमलाल ढीमर तनय हरप्रसाद ढीमर

4– बालाराम ढीमर तनय राजधर ढीमर

5– जाहर खां तनय शमशेर खां

समस्त निवासीयान ग्राम बल्देवगढ़ अस्पताल मुहल्ला, बल्देवगढ़ तह. बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....आवेदक / निगराकारगण

बनाम्

1– लल्लाबाई पत्नि तिजुवा अहिरवार

2– धनश्याम अहिरवार तनय तिजुआ अहिरवार

निवासी कैलपुरा हाल निवासी ग्राम बल्देवगढ़ अस्पताल मुहल्ला, बल्देवगढ़ तह. बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.) **.... अनावेदकगण**

3– म.प्र. शासन

..... प्रतिनिगराकारगण

<u>राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ म.प्र. राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 38 / 2016–17 आदेश दिनांक 2–3–2017 के विरूद्ध।</u>

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार निम्न प्रकार है :–

{1} यह कि, निगरानीशुदा आदेश व तत्संबंधी दृष्टिकोण अधीनस्त न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1082-एक/2017 जिला टीकमगढ़ पूरन विरूद्ध लल्लाबाई व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02-03-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	